

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0111/2016

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
(ii) District : Rudraprayag
(iii) Forest Division : Rudraprayag
(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 0.385
(v) Category : Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Rudraprayag	0.385	Village Forest

Division 1. : Rudraprayag

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Rudraprayag	0.385

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.385	0.3	Eco 5

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Myrica esculenta	Kafal	7	0	1	0	0
2	Quercus leucotricophora	Banz	5	2	1	0	0
3	Rhododendron arboreum	Buransh	2	0	0	0	0
4	Pinus roxburghii	Chir	3	1	0	0	0
5	Misc. Species	Anyar	1	1	0	0	0

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The area proposed for diversion is Revenue forest. Working Plan for such forests is not prepared.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : no erosion prn zone.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 1.50

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Ghurad, Kakad, Guldar etc
(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9. Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Report Part 2

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progress(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i). Total Financial Outlay for C.A.(lacs):

Patch Wise Details					
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No
NO Data					

Uploaded KML file of patch

(ii). Copy of CA scheme details: NA

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: (iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: 

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
NIL		

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Rudraprayag	198400.00	179099.50	586.627	154	1158.614	12/04/2016	260.066	898.548

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Rudraprayag	Garhwal	DFO	Yes	One		11/04/2016

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Rudraprayag	Garhwal	DFO	Recommended	The proposal is related with development.		
	Garhwal	CF	Recommended	Road is necessary for providing connectivity to the villagers.		
		Nodal Officer	Recommended	as per file attached		

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17. Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V) :

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	21/07/2016		State Govt. Officer	No Data	

Print page

प्रपत्र-2.2

PART-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/Road/16066/2016

परियोजना का नाम— जनपद रुद्रप्रयाग में मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुए खाली खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रभागीय वनाधिकारी के कायदा विभाग से सहमत।
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत। परियोजना क्षेत्र के विभिन्न प्रजाति के कुल 24 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिनमें वृक्षों की संख्या 08 है।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में सांत्तुति की जाती है।

दिनांक 30-4-2016

स्थान मोड़ी

हस्ताक्षर

नाम

जी. सोनार

वन संरक्षक

गढ़वाल वन

उत्तराखण्ड पीडा

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 126 / FP/UK/ROAD/16066/2015 देहरादून: दिनांक: 11 जुलाई, 2016

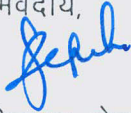
सेवा में,
अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुये खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.385 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-4020 दिनांक 30-06-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/16066/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग।

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुये खाली-खमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.385 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग में 0.385 है० पंचायत वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : 11 / 07 / 2016

स्थान : देहरादून

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 4020 / FP/UK/ROAD/16066/2015 देहरादून:दिनांक: 30 जून, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुए खाली-खमोली तक मोटर मार्ग
के निर्माण हेतु 0.385 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल संख्या- FP/UK/ROAD/16066/2015)

संदर्भ:-भारत सरकार की पत्र संख्या- Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की
एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के
अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

संख्या 4020 / FP/UK/ROAD/16066/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

FILE NO. 1(242)/2016

PROPOSAL NO-FP/UK/ROAD/16066/2015

**PROPOSAL NAME – SYAL DOBHA TO KHALI KHAMOLI MOTOR ROAD
FROM MANIGUH MOTOR ROAD
AREA-0.385 Ha**

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:

(Adverse comments made by any officer or authority in Part I or Part II or Part D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

19/7/16

Signature-

Yoshi

Name and designation

(*Yoshi*)
Additional Secretary
Forest & Environment
Chhattisgarh Secretariat

Official seal